

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल 06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 661]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2008—आश्विन 21, शक 1930

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्र. एफ-1-3-08-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र", दिनांक 5 सितम्बर 2008 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (11) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(एक) उपनियम (10) के अधीन तैयार की गई अनंतिम चयन सूचियां संबंधित पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी.”

2. (1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 2 में, कॉलम (4) में, शब्द “जनपद पंचायत” के स्थान पर, शब्द “जिला पंचायत” स्थापित किया जाए;

(2) अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 2 में, कॉलम (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“जिला पंचायत द्वारा जारी अनंतिम चयन सूची से संबंधित प्राप्त आपत्तियों के लिये :—

(1) अध्यक्ष, शिक्षा समिति, जिला पंचायत	—	अध्यक्ष
(2) शिक्षा समिति, जिला पंचायत के समस्त सदस्य	—	सदस्य
(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य सचिव

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---------|
| (4) | जिला शिक्षा अधिकारी | — | सदस्य |
| (5) | सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण | — | सदस्य." |

3. यह संशोधन "राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्र. एफ-1-3-08-वाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-08-वाईस-पं.-2, दिनांक 13 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2008

No. F-1-3-08-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and conditions of contract) Rule, 2005, the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette", dated 5th September 2008 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, for clause (i) of sub-rule (11), the following clause shall be substituted, namely:—
“(i) Provisional select lists prepared under sub-rule (10) shall be displayed on the Notice Board of the Office of the concerned Panchayat, District Education Officer and Assistant Commissioner, Tribal Welfare.”
2. (1) In Schedule-I, in serial number 2, in column (4), for the words “Janpad Panchayat” the words “Zila Panchayat” shall be substituted;
- (2) In Schedule-II, in serial number 2, in column (6), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“For objections received in relation to the provisional select list issued by the Zila Panchayat :—

- | | | | |
|----|--|---|------------------|
| 1. | Chairman, Education Committee, Zila Panchayat | — | Chairman |
| 2. | All Members of Education Committee, Zila Panchayat | — | Member |
| 3. | Chief Executive Officer, Zila Panchayat | — | Member—Secretary |
| 4. | District Education Officer | — | Member |
| 5. | Assistant Commissioner, Tribal Welfare | — | Member.” |

3. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the “Official Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SURENDRA SHUKLA, Dy. Secy.